संख्या–983/33–3–2010–100(9)/2010

प्रेषक,

डी0एस0श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक : 29 अप्रैल, 2010

विषयः केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन की धनराशि अवमुक्त किए जाने संबंधी शासनादेश में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–756/33–3–2010–100(9)/10 दिनांक 26–4–2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या–756/33–3–2010–100(9)/10 दिनांक 26–4–2010 के प्रस्तर–1 (8) को निम्नानुसार पढा जाय।

"उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक–"2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–101–पंचायती राज–08–ग्रामीण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (विशेष प्रोत्साहन)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जाएगा।"

3– उक्त शासनादेश संख्या–756/33–3–2010–100(9)/10 दिनांक 26–4–2010 के साथ संलग्न जनपदवार फॉट के कालम–4 में " अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि " के स्थान पर "आवंटित धनराशि " पढा जाय।

4– शासनादेश संख्या–756/33–3–2010–100(9)/10 दिनांक 26–4–2010 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शासनादेश दिनांक 26–4–2010 की अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू होगें।

भवदीय,

(डी.एस.श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
4– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
5– एन0आई0सी0 की प्रति।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–2/वित्त (बजट) अनु0–2।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम गोपाल)
उप सचिव